# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 54/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00218

उनवान

1. गुलन्ची पुत्र रामचरन जाति कोली उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम नाहिला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. महाराज सिंह
2. भवानी सिंह
3. प्रमोद

} पुत्र रिंगलाल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नाहिला तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2016 प्रकरण संख्या क्रमशः 27/14 शीर्षक महाराज सिंह बनाम गुलन्ची न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विनोद कुमार भार्गव, निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री अश्विनी जैन अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–29.03.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 3051 रकवा 07 विस्वा वाके ग्राम नाहिला, वादीगण/रैस्पो0 की रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है, जो गॉव की आबादी के पास है एवं जिसके पूर्व में खसरा नम्बर 3047 रकवा 04 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्थित है। उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादी/अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने उक्त खसरा नम्बर गैर मुमकिन रास्ता के उत्तर की ओर एक पुख्ता मकान बना लिया है एवं वादीगण/रैस्पो0 की आराजी में भी हस्तक्षेप करते हुये दरवाजे एवं चबूतरा आदि निकाल लिये हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी/अपीलाण्ट के उक्त अवैध निर्माण को हटाने बाबत् निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट का मकान 11 वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 40 वर्ष पुराना है पहले कच्चा मकान व झोंपडी थी करीब 14 वर्ष पूर्व पक्का निर्माण किया गया। दरवाजे एवं चबूतरे भी पूर्व के ही बने हुये हैं जिन पर कभी भी कोई हस्तक्षेप या एतराज वादीगण/रैस्पो0 ने नहीं किया। प्रकरण में वादीगण/रैस्पो0 ने अपनी वहनो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया मृतक के जायज वारिस वादीगण/रैस्पो0 के अलावा प्रेमो, हेतो एवं लाली हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने दावे के तथ्यो को नकारते हुये जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी हैं। इस प्रकार का निर्णय कानून के विपरीत माना जाता है। यह है कि वादी ने अपने वादपत्र में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा 11 वर्ष पूर्व निर्माण कर लिया जबकि प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि निर्माण 40 वर्ष पुराना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के लिये अवधि का तय किया जाना परमावश्यक है क्योंकि धारा 183 में बेदखली हेतु 12 वर्ष की अवधि निर्धारित है यदि दावा 12 वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रस्तुत होता है तो वह मियाद बाहर होता है। जिसमे कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के विन्दु पर कोई गौर नहीं किया। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि निर्णय राज्य सरकार के अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर में पारित किया गया है। प्रथम तो न्याय आपके द्वार शिविर में वह केस तय नहीं हो सकते जो विवादास्पद हों। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षो के मध्य विवाद था। द्वितीय न्याय आपके द्वार अभियान की कोई सूचना अपीलाण्ट को प्रदान नहीं की गयी। इस प्रकार प्रकरण का निस्तारण अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत किये विना ही निर्णित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण/रैस्पो0 ने दावे में खसरा नम्बर 3047 जो आम रास्ता की भूमि है बावत् प्रस्तुत किया है। जबकि आम रास्ते की भूमि पर धारा 183 व 188 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रकरण में एक विन्दु यह भी है कि पूर्व में चले प्रकरण संख्या 81/2003 भवानी सिंह बनाम गुलन्ची में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 11.12.2006 में पारित निर्णय व डिक्री से इस प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा लागू होता है। अतः वर्तमान प्रकरण पोषणीय नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की समस्त प्रक्रियाओ का उल्लघंन करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2021(1) पेज 533, 2014(2) पेज 1136 का उद्धरण पेश किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाधीन निर्णय न्याय आपके द्वार में पारित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अतिक्रमण साबित होता है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैमाईश कर यदि अतिक्रमण पाया जावे तो हटाने एवं जॉच करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अवैध कब्जा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि किसी भी प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व न्यायिक प्रक्रिया की पालना आवश्यक है। 40 वर्ष से मकान, 14 वर्ष पूर्व पक्का निर्माण किया, उक्त बिन्दु तय ही नहीं हुआ। रास्ते पर कार्यवाही का अधिकार रैस्पो0 को नहीं है। क्योंकि वह उक्त खसरा नम्बर का खातेदार नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रैस्पो0 को दावा लाने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तुरन्त हटाने और ध्वस्त करने बाबत् है एवं रास्ते के लिये पृथक से कार्यवाही के आदेश हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.09.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाव दावा के आधार पर कोई तनकियात कायम नहीं की गयी हैं। विधि अनुसार जवाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकियात कायम की जानी चाहिए थी। इसके अलावा आदेशिका दिनांक 25.05.2016 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि राजीनामा नहीं हो सका। अतः पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 04.07.2016 को पेश हो। परन्तु पेशी दिनांक 04.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार शिविर में रखते हुये एवं बिना तनकीयात कायम किये सरसरी तौर पर निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण का राजस्व अभियान में रखने हेतु पक्षकारो को सूचना देने बावत् कोई जारी शुदा अथवा तामील शुदा नोटिस भी उपलब्ध नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि आदेशिका दिनांक 25.05.2016 में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो के बीच राजीनामा नहीं होना अंकित किया है। परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2016 राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार शिविर में पारित किया है, जब प्रकरण में पक्षकारो के बीच राजीनामा ही नहीं हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का निस्तारण राजस्व अभियान में किस प्रकार कर सकता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायलाय ने राजस्व अभियान की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये जल्दबाजी में निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

किया है। जिसे किसी प्रकार विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2016 अपास्त किये जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

कैम्प-धौलपुर ★ भरतपुर ★